रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2251] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2017/श्रावण 19, 1939
No. 2251] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2017/SRAVANA 19, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017

का.आ. 2567(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

और, तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के पुणे और रायगढ़ जिले में स्थित है और यह 49.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य को महाराष्ट्र राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से डब्ल्यूएलपी. 2012/सी.आर.325/एफ-1 दिनांक 03 मई, 2013 को अधिसूचित किया गया है;

और, अभयारण्य में पक्षीजीव प्रजातियों के लिए जाना जाता है जिसमें भारतीय शाग (*फालाएक्रोकोरैक्स*

फूसीकोलिस), लिटिल कॉर्मोरेंट (*माइक्रोकॉर्बो नायगर*), छोटा बगुला (*एग्रेट्टा गेर्जेटा*), भारतीय तालाब बगुला (*एर्डोला ग्रेयेटी*), एशियन ओपनबिल (*एनास्तोमस ऑसिटिंस*), काले पंखों वाला पतंगा (*एलनस कैरेलेस*), ब्राह्मीनी पतंगा (*हैलिस्टर इंडस*), शिकरा (*एसिपीटर बैडीस*), रेड वेटेड लेपविंग (*वनेलेस इंडिकस*), कॉमन सैन्डपैपर (*एक्टिटीस हाइपोलीयूकोस*), चित्तीदार कबूतर (*स्पाइलोपेलिया एसपी.*) आदि, शामिल हैं,;

और, इस क्षेत्र में स्तनधारियों की 22 प्रजातियां, सरीसृपों की 25 प्रजातियां और उभयचर की कई प्रजातियों के साथ बहुत उच्च जीवजन्तु और वनस्पति की विविधता है। इस क्षेत्र की वनस्पति का "8ए/सी2 पश्चिमी उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वनों" द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है जिसमें आम (*मंगिफेरा इंडिका*), जंभुल (*साइज़ीगियम कमिनी*), पीसा, सीसम (*डाल्बर्गिया एसपी.*), अंजनी (मेम्सेस्लीम एसपी.), बेहदा, आयन, महुआ(*मधुका एसपी.*), पलास (*ब्युटिया एसपी.*), पंगारी, खैर, काकद, शिरीश(अल्बिज़िया एसपी.), तामन (*लेगरस्ट्रोमीया*) आदि वृक्ष हैं और करवंड, केट, कोरंती, धयती, करवी, निर्गुडी, रांकेल आदि झाड़ियों और घासों की प्रजातियां शामिल है;

और, यह क्षेत्र महत्वपूर्ण वन्यजीवों का समर्थन करता है जैसे तेंदुआ (*पेंथेरा पार्दुस*), जंगल बिल्ली (*फेलिस चॉस*), लघु भारतीय गंध बिलाव (*वीवरकुला इंडिका*), धारीदार लकड़बग्घा (*हैयना हैयना*), मुंजक (*मुनिटाकस एसपी*), पश्चिमी हनुमान लंगूर, सामान्य ग्रे नेवला (*हेर्पेस्टिस एडवड्सई*) आदि;

और, पूर्वोक्त अभयारण्य की मानव पर्यावास और चालू विकास क्रियाकलापों से अति निकटता उचित सुरक्षोपायों और ऐसे क्रियाकलापों पर समुचित नियंत्रण की अपेक्षाओं को आवश्यक बनाती है;

और, इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसका विस्तार 0.1 किलोमीटर से 1.2 किलोमीटर तक और सीमा को इस अधिसूचना के पैरा एक में तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और उद्योग या उद्योगों के वर्गों को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर से 1200 मीटर के विस्तार के क्षेत्र को तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.1 किलोमीटर से 1.2 किलोमीटर क्षेत्र तक है और इसका क्षेत्र 15.9881 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है । पारिस्थितिक संवेदी जोन और वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांकों के चार बिन्दुओं की सूची **उपाबंध-I(क)** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पुणे जिले के मुलशीतालुका और रायगढ़ जिले के मनगांव तालुक में कुछ ग्राम पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं। ये पुणे जिले के मुलशी तहसील के सात ग्राम हैं, अर्थात् नीवे, तम्हिनी बीके., वराक, मुलशीख, वेगरे, मुगाँव और धामनोहोल; और रायगढ़ जिले के मनगांव तहसील के 13 गांव अर्थात् उमबरदी, जीटे, बोरावली, तितवे, मलुसते, तामहारी, शिरवालितारफ निजामपुर, सनगवी, येलावादे, संसवदी, बेदगाँव, विले ओल पटनुस, आदि है। ग्रामों की सूची इनके भू-निर्देशांकों के साथ **उपाबंध-III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस

अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और आचंलिक महायोजना राज्य सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयव के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार विधियों के सामंजस्य में तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी । आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी

(3) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक;

(x) पंचायती राज;

(xi) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4)आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे पार्को और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यानों, झीलों और अन्य जलाशयों का अभ्यकंन करेगी। आंचलिक महायोजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा। ऐसे क्षेत्रों को आंचलिक महायोजना में मानचित्र के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :- जैसे:-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) भूमिगत जल संचयन सहित वाणिज्यिक जल संसाधन;

(iii) होटल और लॉज के मौजूदा परिसर की बाड़ लगाना;

(iv) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(v) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयराण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन (1 किलोमीटर से अधिक) की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण ध्वनि पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे ।

(16)**औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख)कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित और संवर्धित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची – तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र में सभी क्रियाकलापों को सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के अधिनियम 53 और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा नियंत्रित हैं) और पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत क्रियाकलापों को सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों के अधीन शासित होंगे और इसके अधीन बनाए गए नियम, और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन और विद्यमान (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	कोई नया उद्योग या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों को स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुज्ञा नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट को उपचारित के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा प्रतिषिद्ध है।
7.	फर्मों, कॉरपोरेट कंपनियों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे अन्यथा नहीं।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन,	राज्य सरकार द्वारा सरकारी सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे निगरानी/सर्वेक्षणों/आपदा प्रबंधन के लिए प्रतिषिद्ध (अन्यथा

	माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
11.	अतिक्रमण और वन भूमि पर उनका नियमितकरण।	13 दिसम्बर, 2005 के बाद प्रतिषिद्ध होंगे ।
12.	सिंचाई विभाग द्वारा जलमग्न क्षेत्र के बाहरी पट्टे।	अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर के अंतर्गत जलमग्न क्षेत्र के सरकारी टैंकों में खेती के लिए पट्टे पर कुल प्रतिबंध है।
13.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध होंगे। गौथन कस्बों के अंतर्गत साइनबोर्ड और होर्डिंग को प्रतिबंधित किया जाएगा।
14.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध होंगे ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
15.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं । परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
16.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में गृह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :

		(ख) परन्तु ऐसे लघु उद्योग जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
17.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
18.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
19.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर की दूरी के भीतर नए उच्च टेंशन पारेषण लाइनों को लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा। शीर्ष पर मोबाइल टॉवर की सुरक्षा को अनुज्ञात किया जाएगा।
21.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, किए जाएंगे ।
22.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, किए जाएंगे ।
23.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
25.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे। जिला कलेक्टर/जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति की अध्यक्ष समिति द्वारा अनुशंसित मछली पालन प्रथाओं की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय ग्रामों और संरक्षित क्षेत्रों से पुनः स्थापित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
26.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
27.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए सतही जल और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा ।

		(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण जिसके अंतर्गत निष्कर्षण की जा सकने वाली मात्रा के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी । (ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
28.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप।	तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य और राज्य सरकार के अनुमोदित पारिस्थितिक योजना में दिशानिर्देश सं. डब्ल्यू एलपी/315/सीआर56/एफ-1, दिनांक 21 अक्तूबर, 2015 को नीति और समुदाय प्रकृति संरक्षण के लिए जारी किया जाएगा कि सभी अनुमतियां विद्यमान विधियों के अधीन नागरिक प्राधिकरण से प्राप्त कर रहे हैं जो पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों के अधीन विनियमित होंगे।
32.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
33.	अधीन उत्सर्जन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
34.	फर्नीचर मार्ट का उपयोग।	वन विभाग द्वारा विनियमित किया जाएगा।
35.	पुराने टैंकों को मजबूत बनाना।	जिला कलेक्टर/जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति की अध्यक्ष समिति द्वारा अनुशंसित की अनुमति दी जाएगी। जंगली पशुओं के लिए आसान दृष्टिकोण की सुविधा के लिए सीधी ढाल बनाई जाएगी।
36.	जल जलाशयों और टैंकों में न्यूनतम संचयन ।	न्यूनतम संचयन को बनाए रखना।
37.	कृषि प्रणालियों और भूमि उपयोग पैटर्न में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
38.	पवन मिलों और टर्बाइनों का उपयोग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
39.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
40.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	जैव गैस, सौर प्रकाश सीएनजी, एलपीजी, आदि को बढ़ावा देना

		होगा ।
45.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
46.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
47.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
48.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
49.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
50.	सामुदायिक प्रकृति भंडार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों का क्रियान्वयन प्रभावी होगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(2) उप पैरा (1) में विनिर्दिष्ट मानीटरी समिति में दस से अनधिक सदस्य सम्मिलित होंगे, जिससे निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क)	जिला कलेक्टर, पुणे	अध्यक्ष ;
(ख)	जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि, रायगढ़	सदस्य;
(ग)	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) का प्रतिनिधि, पुणे	सदस्य;
(घ)	महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ङ)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य;
(च)	नगर योजना कार्यालय का प्रतिनिधि, पुणे	सदस्य;
(छ)	नगर योजना कार्यालय का प्रतिनिधि, रायगढ़	सदस्य;
(ज)	महाराष्ट्र सरकार, पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(झ)	महाराष्ट्र राज्य द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(ञ)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का प्रतिनिधि, एम. एस. नागपुर	सदस्य;
(ट)	उप वन संरक्षक ,रोहा	सदस्य; और
(ठ)	उप वन संरक्षक , पुणे	सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन.-

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(9) पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय मंजूरी की अपेक्षा वाले क्रियाकलापों के मामले में, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, जो भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 उपबंधों द्वारा गठित किया गया है, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनापत्ति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/42/2016-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र, का मानचित्र

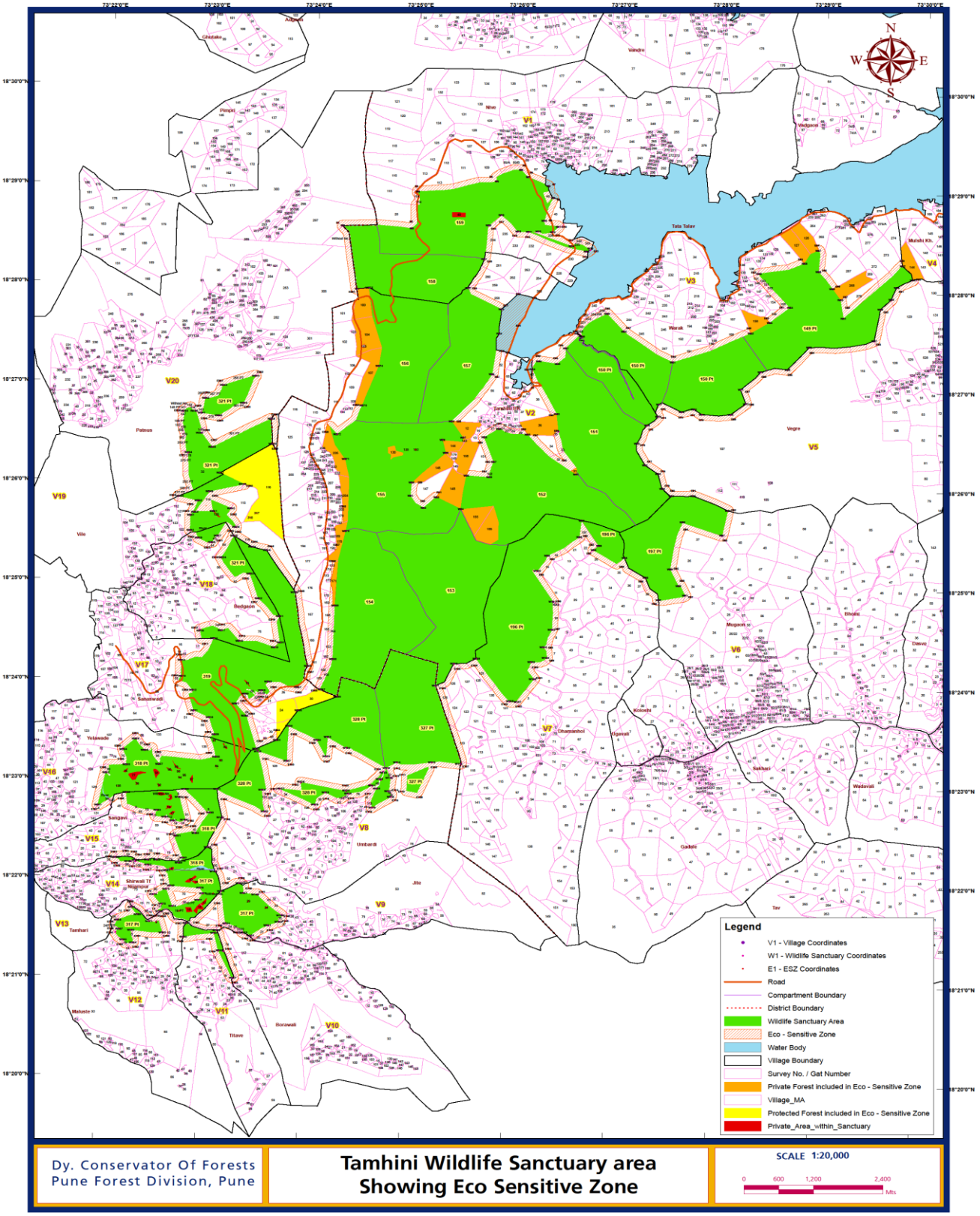

उपाबंध I (क)

तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक			
क्र.सं	**अक्षांश**	**देशांतर**	**अवस्थान नाम**
उत्तर	73° 26' 0.5649"	18° 29' 11.4509"	डब्ल्यू 6
पूर्व	73° 29' 52.7468"	18° 28' 8.6071"	डब्ल्यू 63
दक्षिण	73° 23' 20.4081"	18° 21' 0.0446"	डब्ल्यू 157
पश्चिम	73° 21' 59.0662"	18° 22' 43.1077"	डब्ल्यू 201

तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक			
क्र.सं	**अक्षांश**	**देशांतर**	**अवस्थान नाम**
उत्तर	73° 26' 2.4066"	18° 29' 14.1907"	इ5
पूर्व	73° 29' 56.0794"	18° 28' 9.3006"	इ 60
दक्षिण	73° 23' 21.7720"	18° 20' 57.0617"	इ 153
पश्चिम	73° 21' 57.0429"	18° 22' 40.4881"	इ 197

उपाबंध II

तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का विवरण

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा घाटी आरक्षित वन की सीमा को पार करके तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी भाग में निवे ग्राम से अक्षांश 18° 28' 37" और देशांतर 73° 24' 13" से आरंभ होकर और पुणे-कोलद सड़क के उत्तर पूर्व दिशा में झुकती है। इसके बाद यह पुणे-कोलद सड़क को पार करके पूर्व दिशा की ओर झुकती है। इसके बाद यह निवे ग्राम के क्षेत्र में मुलशी बांध के मुलशी बांध पश्च जल के साथ दक्षिण की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह निवे ग्राम की ग्राम सीमा के मुलशी बांध पश्च जल की सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर झुक कर इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और पुनः पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और तम्हिनी ग्राम में उसी दिशा में पुनः जाती है। इसके बाद यह तम्हिनी-मुगांव सड़क के उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुड़कर इसके बाद यह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और मुलशी बांध पश्च जल के उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर इसके बाद तम्हिनी-वरक की ग्राम सीमा को पार करके उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है। यह मुलशी बांध पश्च जल के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और पुनः उत्तर पूर्व और इसके बाद पूर्व दिशा के बाद पुनः उत्तर दिशा की ओर जाती है। पश्च जल के साथ कुछ विस्तार में वरक-मुलशीख की ग्राम सीमा से यह दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर इसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है और पुनः उत्तर पूर्व की ओर जाती है। उसी के साथ यह वेगरे, मुलशीख, वरक और तम्हिनी बीके. की ग्राम सीमा की श्रेणी के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है।

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा पुणे और रायगढ़ की जिला सीमा के मुगांव, धमनोहोल ग्राम में दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है। इसके बाद उमबरदी ग्राम में पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद उमबरदी, सांगवी, शिरवली तरफ निजामपुर और जीटे ग्राम की ग्राम सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह बोरावली, तितवे और मलुसते ग्राम में पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है इसके बाद यह तमहरी, शिरवली तरफ निजामपुर, सांगवी और येलेवदे ग्राम में उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है। येलेवदे ग्राम में यह संसवदी की ग्राम सीमा की ग्राम सीमा को पार करके उत्तर दिशा की ओर मुड़कर यह पूर्व दिशा की ओर जाती है। यह बेडगांव ग्राम में पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह बेडगांव, विले और पटनस ग्राम को पार करके उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर बाद में संसवदी और उमबरदी ग्राम की ग्राम सीमा के पटनस, विले की ग्राम सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह तम्हिनी बीके. ग्राम की आरक्षित वन सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है निवे ग्राम से आंरभिक बिन्दु की ओर जाती है।

उपाबंध III

तम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों के साथ ग्रामों की सूची

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर	ग्राम के नाम	अवस्थान नाम
1	73° 25' 11.3297"	18° 29' 1.3024"	निवे	वी1
2	73° 25' 18.9654"	18° 26' 9.1324"	तम्हिनी बक	वी 2
3	73° 29' 3.1962"	18° 28' 8.4883"	वरक	वी 3
4	73° 30' 7.8844"	18° 28' 31.6652"	मुलशी खा.	वी 4
5	73° 30' 47.5643"	18° 27' 29.0930"	वेगरे	वी 5
6	73° 28' 6.2619"	18° 24' 37.5032"	मुगांव	वी 6
7	73° 26' 21.4930"	18° 23' 46.1503"	धामनोहोल	वी 7
8	73° 24' 22.7911"	18° 22' 56.2999"	उमबरदी	वी 8
9	73° 24' 46.6959"	18° 21' 46.2089"	जीटे	वी 9
10	73° 24' 19.6971"	18° 20' 32.5899"	बोरावली	वी 10
11	73° 23' 3.5812"	18° 20' 59.7204"	टीटावे	वी 11
12	73° 22' 10.0770"	18° 20' 56.4230"	मलुसते	वी 12
13	73° 21' 39.4172"	18° 21' 31.2570"	तामहारी	वी 13
14	73° 22' 44.8044"	18° 21' 52.6823"	शीरावाली तरफ नीजामपुर	वी 14
15	73° 22' 39.7496"	18° 22' 31.3939"	सांगवी	वी 15
16	73° 21' 30.1390"	18° 23' 2.7862"	येलावादे	वी 16
17	73° 22' 59.5658"	18° 24' 5.0435"	सनासवादी	वी 17
18	73° 23' 0.3256"	18° 24' 58.0050"	बेदगांव	वी 18
19	73° 21' 32.5944"	18° 25' 49.6195"	वीले	वी 19
20	73° 23' 1.3534"	18° 27' 42.2809"	पतन्स	वी 20

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIORNMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2017

S.O. 2567(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at eszmef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Tamhini Wildlife Sanctuary is located in the Pune and Raigad Districts of Maharashtra and is spread over an area of 49.62 square kilometers;

AND WHEREAS, the Tamhini Wildlife Sanctuary is notified vide notification of the State Government of Maharashtra number WLP. 2012/C.R.325/ F-1 dated the 03rd May, 2013;

AND WHEREAS, the Sanctuary is known for avifaunal species which includes Indian Shag (*Phalacrocorax fuscicollis*), Little Cormorant (*Microcarbo niger*), Little Egret (*Egretta garzetta*), Indian Pond Heron (*Ardeola grayii*), Asian Openbill (*Anastomus oscitans*), Black Winged Kite (*Elanus caeruleus*), Brahminy Kite (*Haliastur Indus*), Shikra (*Accipiter badius*), Red Wattled Lapwing (*Vanellus indicus*), Common Sandpiper (*Actitis hypoleucos*), Spotted Dove (*Spilopelia sp.*), etc.;

AND WHEREAS, the area has very high faunal and floral diversity with about 22 species of mammals, 25 species of reptiles and many species of amphibians. The flora of this area is represented by "8A/C2 Western sub tropical hill forests" including species like Mango (*Mangifera indica*), Jambhul (*Syzygium cumini*), Pisa, Sisam (*Dalbergia sp.*), Anjani (*Memecylum sp.*), Behada, Ain, Mahua (*Madhuca sp.*), Palas (*Butea sp.*), Pangari, Khair, Kakad, Shireesh (*Albizzia sp.*), Taman (*Lagerstroemia*), etc. among trees and Karwand, Kate, koranti, Dhayti, Karvi, Nirgudi, Raankel etc. among shrubs and grasses;

AND WHEREAS, the area also supports important wildlife such as Common Leopard (*Panthera pardus*), Jungle Cat (*Felis chaus*), Small Indian Civet (*Viverricula indica*), Striped Hyena (*Hyaena hyaena*), Barking Deer (*Muntiacus sp.*), Western Hanuman Langur, Common Grey Mongoose (*Herpestes edwardsii*) etc;

AND WHEREAS, the extremely close vicinity of the above-mentioned sanctuary to human habitation and the ongoing developmental activities necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area with the extent of 0.1 km to 1.2 km from the boundary of Tamhini Wildlife Sanctuary which is specified in this notification, as Eco-sensitive

Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of 100 meters to 1200meters from the boundary of Tamhini Wild life Sanctuary in the State of Maharashtra as the Tamhini Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of the Eco-Sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 15.9881 square kilometres and extends from 0.1 kilometres to 1.2 kilometres from the boundary of Tamhini Wild life Sanctuary.

(2) The map of the Sanctuary along with the proposed Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I.** The list of geo co ordinates of four points of both the Wildlife Sanctuary and the Eco Sensitive Zone is appended as **Annexure-I (A).**

(3) The boundary description of the proposed Eco Sensitive Zone is appended as **Annexure II.**

(4) Certain villages in Mulshitaluka of Pune District and Mangaon Taluka of Raigad District fall in the Eco-sensitive Zone. These are 7 villages of Mulshi Tahsil of Pune District namely Nive, Tamhini Bk., Warak, MulshiKh, Vegare, Mugaon and Dhamanohol; and 13 villages of Mangaon Tahsil of Raigad District namely Umbardi, Jite, Boravali, Titve, Maluste, Tamhari, ShirwalitarfNijampur, Sangavi, Yelavade, Sanaswdi, Bedgaon, Vile and Patnus. The list of villages along with Geo Co-ordinates is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any. The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Maharashtra State Pollution Control Board; and

(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring vide the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of the final notification, namely:-

(1) **Land use**.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or industrial activities. Such areas shall be clearly defined in the Zonal Master Plan along with maps:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable, to meet the residential needs of the local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco Friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Commercial water resources including ground water harvesting,

(iii) Fencing of existing premises of hotels and lodges,

(iv) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; and

(v) Small scale industries not causing pollution;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies**.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-Tourism**.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone (beyond 1 kilometre) shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage**.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man- made Heritage Sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise Pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air Pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of Effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid Wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(b) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(c) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio Medical Wastes.-** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Electronic Waste.-** The Electronic Waste (E-Waste) Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular Traffic.-** The vehicular traffic movement shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.-** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification.

(17) **Protection of Hill Slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Tamhini Wildlife Sanctuary, Maharashtra are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Act 53 of 1972 and rules framed thereunder) and activities within the ESZ shall be governed under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Table

Sl. No.	Activities	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, Stone Quarrying and Crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04 August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution	No new industries and expansion of existing polluting

	(Water, Air, Soil, Noise, etc.).	industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
10.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) for official public purposes such as monitoring / surveys / disaster management by the State Government.
11.	Encroachment and their regularization on forest land.	Prohibited after 13th December, 2005.
12.	Lease out of submergence area by irrigation department.	Total ban on lease for farming in submergence area of Government Tanks within 100 meters from the boundary of the Sanctuary.
13.	Commercial Sign boards and hoardings.	Prohibited under applicable laws. Illuminated signboards and hoardings should be prohibited except within gaothan towns.
14.	Use of polythene bags.	Prohibited under applicable laws.
Regulated Activities		
15.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
16.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (a) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

		(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
17.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
18.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
19.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
20.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	The laying of new high tension transmission lines shall not be permitted within 100 meter from the boundary of Tamhini Wild life Sanctuary. Underground cabling may be promoted. Mobile towers with protection on top may be permitted.
21.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
23.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
25.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals. Fishing practices may be permitted as recommended by committee headed by District Collector / District Level Biodiversity Management Committee. Priority may be given to local villages and people rehabilited from protected areas.
26.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
27.	Commercial extraction of surface and ground water.	a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for bona fide agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from

		the concerned regulatory authority and the monitoring committee. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
28.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
29.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
30.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
31.	Eco-tourism activities.	Ecotourism activities will be regulated as per approved ecotourism plan of the Tamhini Wild Life Sanctuary and State Government Policy and Guidelines No. WLP/315/CR56/F-1, dated 21/10/2015 issued for Community Nature Conservancy provided that all permissions required from Civil Authority under existing laws are obtained.
32.	Fencing of existing premises of new hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
33.	Vehicular Emissions.	Regulated under applicable laws.
34.	Use of Furniture Mart.	To be regulated by the Forest Department.
35.	Old tank deepening.	As recommended by committee headed by District Collector /District Level Biodiversity Management Committee. Gentle gradient be maintained to facilitate easy approach to wild animals.
36.	Minimum storage in water reservoirs and tanks.	Minimum storage to be maintained.
37.	Drastic Change of Agriculture systems or land use pattern.	Regulated under applicable laws.
38.	Use of Wind mills and Turbines.	Regulated under applicable laws.
39.	Commercial use of firewood.	Regulated as per applicable laws.
Promoted Activities		
40.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
41.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
42.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
43.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
44.	Use of renewable energy and clean fuels.	Bio gas, solar light, CNG, LPG etc. to be actively promoted.
45.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
46.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
47.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
48.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
49.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
50.	Community Nature Reserves.	Shall be actively promoted.

Prohibited Activities as specified above shall come into effect from the date of issue of Draft Notification.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee referred to in sub paragraph (1) shall consist of not more than ten members so as to represent the following, namely;

(a) District Collector, Pune – Chairman;

(b) Representative of District Collector, Raigad – Member;

(c) Representative of Chief Conservator of Forests (Wildlife), Pune- Member;

(d) Representative of Non-Governmental Organisations (NGO) working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of three years in each case – Member;

(e) Representative of Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, - Member;

(f) Representative of the Town Planning office, Pune. - Member;

(g) Representative of the Town Planning office, Raigad. - Member ;

(h) Representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra – Member;

(i) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of three years in each case- Member;

(j) Representative of Biodiversity Board, M. S. Nagpur - Member;

(k) Deputy Conservator of Forests, Roha – Member; and

(l) Deputy Conservator of Forests, Pune – Member Secretary.

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of Notification

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure-IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

(9) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred in the State level Environment Impact Assessment Authority constituted vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment & Forests number S.O. 1533 (E), dated September 14, 2006 which shall be the competent Authority for grant of such clearance as per the provisions of the said notification.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/42/2016-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Tamhini Wildlife Sanctuary, Maharashtra along with the Proposed Eco-Sensitive Zone

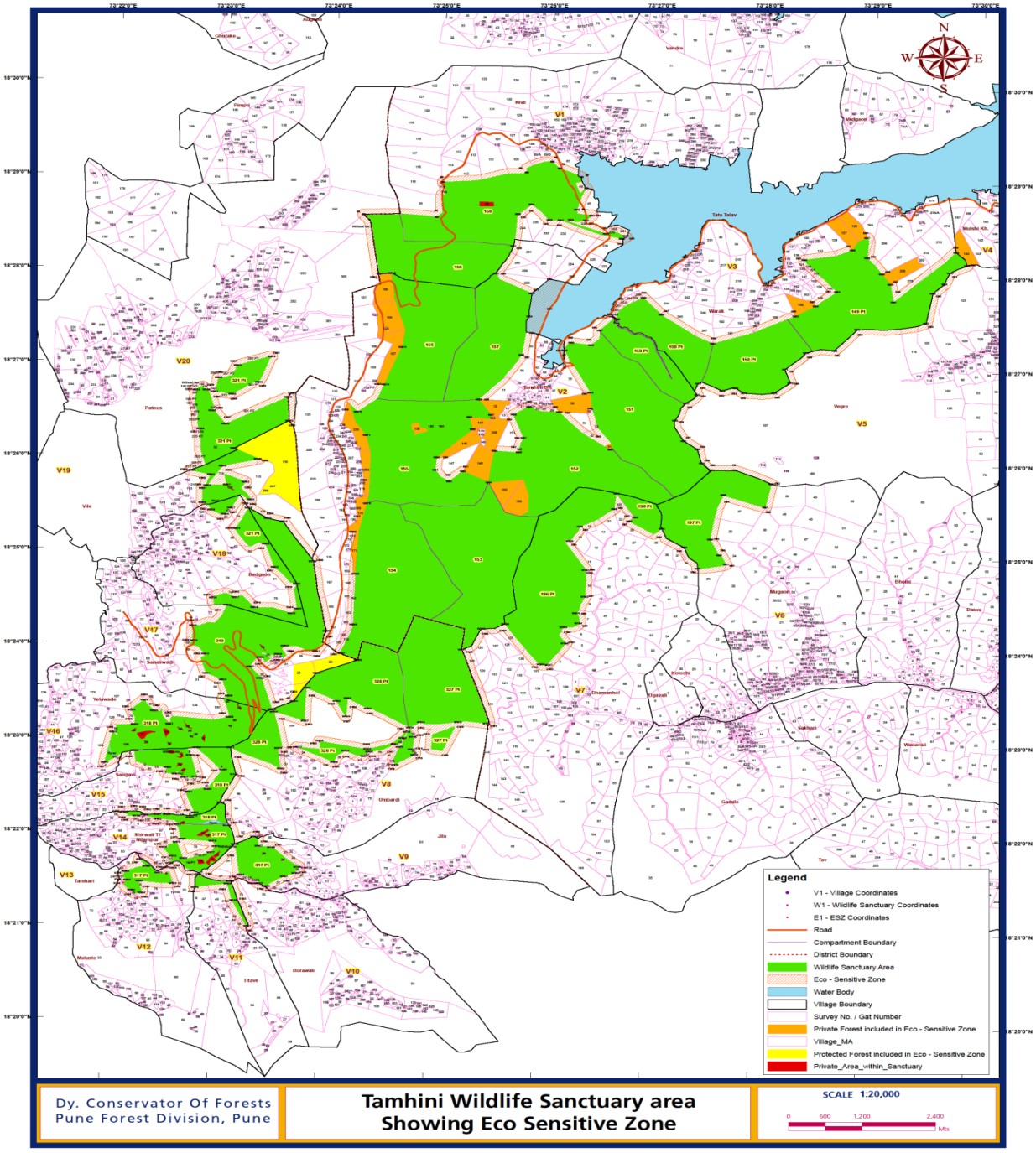

Annexure I (A)

Geo Co-ordinates of Tamhini Wildlife Sanctuary			
Sl. No	**Latitude**	**Longitude**	**Location Name**
North	73° 26' 0.5649"	18° 29' 11.4509"	W6
East	73° 29' 52.7468"	18° 28' 8.6071"	W63
South	73° 23' 20.4081"	18° 21' 0.0446"	W157
West	73° 21' 59.0662"	18° 22' 43.1077"	W201

Geo Co-ordinates of Eco Sensitive Zone of Tamhini Wildlife Sanctuary			
Sl. No	**Latitude**	**Longitude**	**Location Name**
North	73° 26' 2.4066"	18° 29' 14.1907"	E5
East	73° 29' 56.0794"	18° 28' 9.3006"	E60
South	73° 23' 21.7720"	18° 20' 57.0617"	E153
West	73° 21' 57.0429"	18° 22' 40.4881"	E197

Annexure II

Boundary Description of the Proposed Eco-Sensitive Zone of Tamhini Wildlife Sanctuary

The Eco-Sensitive Zone boundary starts from Nive village in the Northern side of Tamhini Wildlife Sanctuary across valley RF boundary bearing latitude 18° 28' 37" and longitude 73° 24' 13"and bends to the north east direction up to Pune-Kolad road. Then it bends towards the east direction crossing Pune-Kolad road. Then it turns towards the south along Mulshi Dam backwater upto Mulshi Dam in area of Nive village. Then it bends towards the west direction then turns towards the South direction then turns towards the East direction and again turns towards the West direction along the boundary of Mulshi Dam backwater upto village boundary of Village Nive and continue in same direction in village Tamhini. Then it turns back to North-East direction then turns towards East direction then it turns towards South-East direction upto Tamhini-Mugaon Road and turn back toward North-West direction upto Mulshi Dam backwater then turns towards the North-East crossing the village boundary of Tamhini-Warak. It turns towards South-East direction and again North-East and then East direction then again towards North direction upto Mulshi Dam backwater. In some extent along the backwater it turns towards South direction then turns towards South-East and again towards North-East upto village boundary of Warak-Mulshikh. Along the same it turns toward south west direction along the ridge of village boundary of Vegare, MulshiKh., Warak and Tamhini Bk.

Eco-Sensitive boundary continues in South-West direction in village Mugaon, Dhamanohol upto district boundary of Pune and Raigad. Then turns towards west direction in village Umbardi.Then turns towards south direction along village boundary of village Umbardi, Sangavi, Shiravali Tarff Nijampur and Jite. Then it turns towards west direction in village Boravali, Titve and Maluste. Then it turns towards North direction in villageTamhari, ShiravalitarffNijampur, sangvi and Yelawade. In village Yelavade it turns towards East direction then it turns towards north direction crossing village boundary upto village boundary of Sanaswadi. Now it turns to East direction in village Bedgaon. Then it turns to North direction crossing village Bedgaon, Vile and Patnus. Then it turns towards North-East direction after it turns to South direction along the village boundary of Patnus, Vile upto village boundary of village Sanaswadi and Umbardi. Then it turns back to North direction along the reserved forest boundary of village Tamhini Bk. Towards the start point at village Nive.

Annexure III

List of Villages along with Geo Co-ordinates within the Eco Sensitive Zone of Tamhini Wildlife

Sl. No	Latitude	Longitude	Village Name	Location Name
1	73° 25' 11.3297"	18° 29' 1.3024"	Nive	V1
2	73° 25' 18.9654"	18° 26' 9.1324"	Tamhini Bk	V2
3	73° 29' 3.1962"	18° 28' 8.4883"	Warak	V3
4	73° 30' 7.8844"	18° 28' 31.6652"	Mulshi Kh.	V4
5	73° 30' 47.5643"	18° 27' 29.0930"	Vegre	V5
6	73° 28' 6.2619"	18° 24' 37.5032"	Mugaon	V6
7	73° 26' 21.4930"	18° 23' 46.1503"	Dhamanohol	V7
8	73° 24' 22.7911"	18° 22' 56.2999"	Umbardi	V8
9	73° 24' 46.6959"	18° 21' 46.2089"	Jite	V9
10	73° 24' 19.6971"	18° 20' 32.5899"	Borawali	V10
11	73° 23' 3.5812"	18° 20' 59.7204"	Titave	V11
12	73° 22' 10.0770"	18° 20' 56.4230"	Maluste	V12
13	73° 21' 39.4172"	18° 21' 31.2570"	Tamhari	V13
14	73° 22' 44.8044"	18° 21' 52.6823"	Shirawali Tf Nijampur	V14
15	73° 22' 39.7496"	18° 22' 31.3939"	Sangavi	V15
16	73° 21' 30.1390"	18° 23' 2.7862"	Yelawade	V16
17	73° 22' 59.5658"	18° 24' 5.0435"	Sanaswadi	V17
18	73° 23' 0.3256"	18° 24' 58.0050"	Bedgaon	V18
19	73° 21' 32.5944"	18° 25' 49.6195"	Vile	V19
20	73° 23' 1.3534"	18° 27' 42.2809"	Patnus	V20

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:—Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.08.14 12:26:05 +05'30'